न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 34/2017

गुरविन्द्रसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 40 एच तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर । – अपीलार्थी

बनाम

1. अवतारसिंह पुत्र रेशमसिंह जाति जटसिख निवासी मोड़ा तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर । –रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू.अ. 1956

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर

दिनांक 01.03.2017

उपस्थितिः–

श्री हरवीरसिंह , अभिभाषक अपीलांट ।

श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय **दिनांक :– 25.09.2017**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलांट ने एक प्रा.पत्र न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर के समक्ष कलोनी कंडीशन की शर्त सं. 8(2) के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम चक 13 ओ के खाता सं. 126 नया के मुश्तरका खाता में 1.519 है. भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। मु.न. 18 के कि.न. 21 के दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम दिशा में लगभग 50 वर्ष से रास्ता चल रहा है तथा आगे धान मंडी को मिलाता है एवं प्रार्थी व अन्य लोग इस रास्ता से आते जाते है। अब उक्त

25/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

रास्ता को अप्रार्थी ने बंद कर दिया है जिससे काफी परेशानी हो रही है। अतः निवेदन है कि मु.न. 18 के कि.न. 21 में दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम दिशा रास्ता को बंद करने से रोका जावे तथा रास्ता को खाले जाने के आदेश दिये जावें ।

अप्रार्थी ने जबाव प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थी ने बंद रास्ता को खोले जाने का प्रा.पत्र पेश किया है । मौका पर रास्ता चालू नहीं है । प्रार्थी को रास्ता की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मु.न. 27 के कि.न. 1, 10, 11, 20 में जो रास्ता है वह प्रार्थी की भूमि के साथ चिपता हुआ है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को तंग व परेशान करने के लिए प्रा.पत्र पेश किया है । इसके अलावा प्रार्थी ने धारा 8(2) के तहत प्रा.पत्र पेश किया जो एक्ट निरस्त हो चुका है। प्रार्थी के पास विकल्प में रास्ता है ऐसी स्थिति में उसे रास्ता की आवश्यकता नहीं है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें ।

अधी.न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 01.03.2017 को प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

अपील पेश होने पर रेस्पो.सं.1 को तलब किया गया लेकिन उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर वकील अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने अधी.न्यायालय में पूर्व में चालू रास्ता को बंद नहीं करने बाबत प्रा.पत्र पेश किया था । अधी.न्यायालय ने प्रा.पत्र कलोनी कंडीशन की शर्त सं. 8(2) के तहत मानते हुए प्रा.पत्र खारिज कर दिया है। पूर्व में अधी. न्यायालय द्वारा दिनांक 20.06.2013 को मु.न. 17 के कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 में रास्ता स्वीकृत किया था जिसका इन्तकाल भी दर्ज हो चुका था जिसे

25/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अधी.न्यायालय ने अनदेखा करते हुए आदेश पारित किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर आदेश दिनांक 20.06.2013 की पालना करवाई जावें ।

वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर के निर्णय दिनांक 01.03.2017 के विरूद्ध पेश हुई हैं , अधी.न्यायालय के रेकार्ड का अवलोकन करने से यह निर्णय उपनिवेशान अधिनियम की धारा 8(2) के तहत पारित होना जाहिर हुआ । राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम का अवलोकन किया गया । इस अधिनियम की धारा 8 रास्ता से सम्बन्धित न होकर Legal effects of conditions से है। राजस्थान उपनिवेशन के अधीन बने नियमों में The Rajasthan colonisation(general colony) conditions 1955 के नियम 8(2) की शर्तो में यह जो रास्तों के प्रावधान दिये है जिनकी Terms एवं conditions प्रकरण हाजा पूरी नहीं करता तथा निर्णय भी सशर्त जारी हुआ है । अतः निर्णय अपूर्ण होने से अपीलाधीन आदेश खारिज किया जाता है अपील अपीलांट स्वीकार का प्रकरण इस निर्देश के साथ अधी.न्यायालय को रिमांड किया जाता है कि प्रकरण रास्ता स्वीकृति का है जिसके लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 ए में विशिष्ट प्रावधान है जिसकी पालना कर दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर निहित प्रावधानों को ध्यान में रखकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पुनः पारित किया जावें तथा यदि रास्ता पूर्व में प्रचलित है तो सक्षम अधिकारी नियमानुसार अपनी विशिष्ट शक्तियों का प्रयोग कर रास्ते में अवरूद्ध करने हेतु बनाई गई दीवार को हटाने में सक्षम रहेगा।

25/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

निर्णय आज दिनांक 25.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(प्रेमप्रिम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर